

मैनुअल संख्या-07

जो किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना  
या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के  
साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

u/

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय 2 प्रस्तर 4 एवं 5 के द्वारा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबन्धकार्यकारिणी समिति की संरचना की गयी है। संस्थान की साधारण सभा की संरचना में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त 02 कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के 12 भाषाविदों एवं संबंधित विषयों के साहित्यकारों को नामित किया गया है, साथ ही संस्थान की प्रबंधकार्यकारिणी समिति की संरचना में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन से 03 साहित्यकारों को नामित किया गया है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के समक्ष संस्थान की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति से प्राप्त परामर्शों पर विचार कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किये जाते हैं।